बालिका का शव रख तीन घंटे हंगामा

वाटर पार्क सील करने की मांग को लेकर अड़े रहे लोग

संवाद सूत्र, जागरण, कुंडा : नौ साल की बालिका की अवैध वाटर पार्क में डूबने से मौत होने से नाराज स्वजन ने शव रखकर हंगामा किया। आर्थिक सहायक और वाटर पार्क सील करने की मांग को लेकर अड़े रहे। नारेबाजी के बीच बवाल बढ़ता जा रहा था। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने नारेबाजी कर रहे दो लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद किसी तरह से मामला शांत कराया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया।

मानिकपुर के अलुवामई में मंगलवार को वाटर पार्क में डूबने से नौ वर्षीय सान्या केसरवानी की मौत हो गई थी। बुधवार दोपहर दो बजे पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया तो स्वजन रोने-बिलखने लगे। वह आर्थिक सहायता तथा वाटर पार्क को सील किए जाने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। करीब तीन घंटे तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने स्वजन और ग्रामीणों को समझाकर उनको शांत कराया। वहीं, वाटर पार्क संचालक पीयूष शुक्ला की मौसी शिव प्यारी की टिप्पणी से दोबारा माहौल गरमा गया। इससे स्वजन और ग्रामीण उन पर आक्रोशित हो उठे। देखते ही देखते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।

इसके बाद शव का शाम पांच बजे गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। तब जाकर पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। बालिका के पिता सुशील कुमार केसरवानी की तहरीर पर पुलिस ने वाटर पार्क संचालक पीयूष शुक्ला निवासी अलुवामई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उसकी तलाश जारी है।

पीड़ित परिवार से मिले कुंडा विधायक के प्रतिनिधि : वाटर पार्क में डूबने से एक बालिका की मौत होने की जानकारी मिलने पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव और जिला पंचायत सदस्य विनोद पटेल पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंनेपरिवार को ढांढस बंधाया और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

दो सिर-चार हाथ व एक धड़ वाले जुड़वा बच्चों की जन्म लेते ही मौत

संसू, जागरण, करारी : कस्बे के एक निजी अस्पताल में जन्मे दुर्लभ जुड़वा बच्चों की कुछ ही घंटों के भीतर मौत हो गई। दोनों बच्चों के दो सिर और चार हाथ थे। जबकि, उनका धड़ एक था। तियरा जमालपुर गांव निवासी यशोदा देवी को प्रसवपीड़ा होने पर स्वजन बुधवार सुबह उसे करारी स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में महिला ने दुर्लभ बच्चों को जन्म दिया। थी। दोनों बच्चों के सिर अलग-अलग थे, लेकिन उनका शरीर एक-दूसरे से जुड़ा था। साथ ही उनके चार हाथ भी थे। दुर्लभ बच्चों के जन्म की सूचना मिलते ही अस्पताल में उत्सुक लोगों का तांता लग गया।

दुष्कर्मी पिता को 10 वर्ष कैद, 20 हजार रुपये लगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, कौशांबी : कोखराज कोतवाली के सैय्यद अलीपुर गांव के अधेड़ को बुधवार को एडीजे प्रथम त्वरित न्यायालय ने 10 वर्ष कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। चार वर्ष पहले आरोपित ने शराब के नशे में घर के भीतर सोई बेटी का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जुर्माना चुकता नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम सजा काटना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोखराज कोतवाली के सैय्यद अलीपुर गांव की एक युवती 27 मई 2022 की रात घर के भीतर बरामदे में मां के बगल सोई थी। आधी रात शराब के नशे में धुत पिता सुंदर लाल पहुंचा और मुंह दबाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go Anusandhan Sansthan, Mathura (U.P.)-281001

Advertisement No. 02/2026 Date: 19 June 2026

RECRUITMENT NOTIFICATION

The University invites the application from the eligible candidates for recruitment of various teaching posts of the university. The detailed advertisement can be downloaded from the university website www.upvetuniv.edu.in.

The eligible candidates may fill the application in the prescribed format and send it through registered / speed post to Incharge, Recruitment Cell, DUVASU, Mathura on or before 30 July 2026 by 05:00 P.M.

REGISTRAR

संत कबीर अकादमी, मगहर
(संस्कृति विभाग, उ.प्र.)
ईमेल आई डी०- kabiracademi@gmail.com
संपर्क सूत्र-9415611896

संत कबीर अकादमी, मगहर (स्वायत्तशासी संस्था, संस्कृति विभाग, उ.प्र.) द्वारा संत कबीर दास पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप/ सीनियर रिसर्च फेलोशिप में नेट उत्तीर्ण कुल 08 शोधार्थियों के लिए यू.जी.सी. मानक के अनुसार फेलोशिप प्रदान किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1. ऐसे शोधार्थी जो यू.जी.सी. या अन्य सरकारी संस्थान से किसी भी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त कर रहे हों, इसके लिए पात्र नही होगें।
2. संत कबीर दास के जीवन, साहित्य, दर्शन, भाषा, साखी-सबद-रमैनी, वाचीक, दृश्यकला परम्परा तथा निर्गुण भक्ति आंदोलन के अन्तर्गत आने वाले अन्य संत कवियों पर शोध एवं तुलनात्मक अध्ययन अनुमन्य होगें।

अ. जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के अन्तर्गत 04 शोधार्थी।
ब. सीनियर रिसर्च फेलोशिप (SRF) के अन्तर्गत 04 शोधार्थी।

3. फेलोशिप हेतु शोधार्थियों का चयन, चयन समिति की माध्यम किया जायेगा।

उक्त फेलोशिप हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप नियम एवं शर्तें अकादमी की वेबसाइट https://santkabiracademy.ac.in पर उपलब्ध है।

निदेशक
संत कबीर अकादमी

संख्या- 727/ सं.क.अ.-26(02)/ 2024-25/ लखनऊ, दिनांक- 24 जून, 2026

कूलर में उतरा करंट महिला की गई जान

संसू, जागरण, कुंडा : घर में चल रहे कूलर को घुमाते समय अधेड़ महिला करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। घटना की जानकारी होने पर स्वजन उसे सीएचसी कुंडा ले गए। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

चौसा बहरिया निवासी साधु सरोज की पत्नी 58 वर्षीय सुनीता उर्फ सधुवाइन बुधवार सुबह करीब आठ बजे घर में रखे कूलर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा रही थीं। इसी दौरान कूलर में उतरे करंट की चपेट में आ गईं। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलसकर गिर पड़ीं। घटना की जानकारी होते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और आनन-फानन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा ले गए। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

भारत सरकार
भारतीय डाक विभाग
भारतीय डाक India Post
कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज

विज्ञप्ति

डाक उपभोक्ता की शिकायतों के निस्तारण हेतु दिनांक- 03.07.2026 दिन शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पोस्टमास्टर जनरल, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज के कार्यालय में निदेशक डाक सेवाएं, प्रयागराज परिक्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजन किया जाएगा। डाक अदालत में प्रयागराज डाक क्षेत्र की जनपद- प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, मीरजापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर तथा अमेठी से सम्बन्धित डाकघरों की स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र/पार्सल, वी.पी. वस्तुएं, मनीऑर्डर से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई कर तत्काल निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।

डाक विभाग की उपयुक्त सेवाओं के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि आप अपनी शिकायतें डाक/हस्तगत द्वारा दिनांक-30.06.2026 तक सहायक निदेशक (परिवाद), कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, प्रयागराज-211001 को भेज दें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों को डाक अदालत में स्वीकार/शामिल नहीं किया जाएगा।

डाक अदालत में शामिल होने वाली शिकायतों के लिए यह भी आवश्यक है कि आप सम्बन्धित प्रवर अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक डाकघर को पूर्व में भेजे गए पत्र की प्रति भी संलग्न करें, जिसमें आपको संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कृपया शिकायत पत्र के शीर्ष एवं लिफाफे के ऊपर डाक अदालत अवश्य लिखें।

सहायक निदेशक-प्रथम
कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल
सिविल लाइंस, प्रयागराज-211001

पत्रांक सी.पी.टी./डाक अदालत/जून/2026 दिनांक 19.06.2026

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation,
PIMPRI - 411018.
Tender No: Edu/01/2026-27

Publication of Notice for Request for Proposal (RFP) for Empanelment of Vendors for Supply of School Items to PCMC Students

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) hereby invites 'Request for Proposal for 'Empanelment of Vendors for Supply of School Items to PCMC Students'. Bidders are advised to study this RFP document carefully before submitting their proposals in response to this RFP Notice. Submission of a proposal in response to this notice shall be deemed to have been done after careful study and examination of this document with full understanding of its terms, conditions, and implications.

Interested Bidders are requested to download the RFP document published on www.mahatenders.gov.in from 24/06/2026. The last date for bid submission 03/07/2026 by 3:00 PM. The bidder must submit their proposal on mahatender portal.

The downloaded bidding document shall be considered valid for participation in the electronic bidding process (e-Tendering) subject to the payment of RFP Fee. For any type of clarifications, Bidders can visit www.mahatenders.gov.in or contact help desk contact no. 0120-4001 462, 0120-4001 002, 0120-4001 005, 0120-6277 787,
Email: support-eproc@nic.in

Name of Work	Tender Fees (Non-Refundable)	EMD
Empanelment of Vendors for Supply of School Items to PCMC Students	INR 38,940 (Thirty-Eight Thousand Nine Hundred & Fourty Rupees only)	INR 2,50,000 (Two Lakhs Fifty Thousand Rupees only)

Commissioner, PCMC reserves the rights to reject any or all applications without assigning any reasons thereof. In this regard his decision will be final and legally binding on all the Bidders.

Advt No. 2026-27/70
Date - 25/06/2026

Sd/-
Commissioner
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
Pimpri- 411018

उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लि०,
"वस्त्र भवन", शारदा नगर, कानपुर-208024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लि0, के शारदा नगर, कानपुर स्थित मुख्यालय "वस्त्र भवन", मेरठ स्थित स्पिनिंग मिल, झाँसी स्थित स्पिनिंग मिल तथा सण्डीला (हरदोई) स्थित स्पिनिंग मिल की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में, नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद के समक्ष कम्पनी पिटीशन संख्या-CP(IB) No.144/ALD/2024 में इन्टरवेन्सन पिटीशन संख्या-09/ALD/2025 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सी-संख्या- 6398/2021 यू0पी0 स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लि0 (यूपीएसटीसी) बनाम डीआरएटी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.05.2026 के अनुपालन में माननीय डीआरएटी, इलाहाबाद के, अपील संख्या-135/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2019 के विरूद्ध, यूपीएसटीसी द्वारा दाखिल रिकाल प्रार्थना पत्र का विधिक मामला सुनवाई हेतु वर्तमान में विचाराधीन है।

प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

पत्रांकः क.गां.बा.वि./5467/2026-27 दिनांक- 24.06.2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांकः के०जी०बी०वी०/शिक्षक/8362/2020-21 दिनांकः 04.01.2021 के साथ संलग्न, अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन पत्रांक संख्या-1553/68-5-2020 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के क्रम में जनपद वाराणसी में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले महिला अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोंपरान्त संविदा पर कार्य करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से पता- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के पदनाम से आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 10 जुलाई 2026 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। साधारण डाक अथवा आवेदन की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त विज्ञप्ति एवं प्रारूप Varanasi.nic.in पर उपलब्ध है। रिक्त पदों का विवरण एवं अर्हता निम्नवत है-

क्र. सं.	पद नाम	विषय	कुल पद	क०गा०बा० वि०	आरक्षण श्रेणी	मानदेय प्रतिमाह रू०	अनिवार्य शैक्षिक व प्रशिक्षण अर्हता
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	सामाजिक विषय	3	चोलापुर	GEN	25410/-	सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०) प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड० / समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
2				पिण्डरा	GEN	25410/-	
3				शिवपुर नगर क्षेत्र	EWS	25410/-	
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	हिन्दी संस्कृत	1	पिण्डरा	EWS	25410/-	भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत) से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड० / समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
5	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	गणित	3	शिवपुर नगर क्षेत्र	GEN	25410/-	गणित (P.C.M.) वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
6				चोलापुर	EWS	25410/-	
7				पिण्डरा	GEN	25410/-	
8	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	विज्ञान	1	शिवपुर नगर क्षेत्र	GEN	25410/-	गणित (Z.B.C.) वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/ समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
9	अंशकालिक शिक्षिका (महिला)	कम्प्यूटर शिक्षा	1	आराजीलाइन्स	SC	12790/- प्रतिमाह की दर से (13 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान को सम्मिलित करते हुए।	प्रशिक्षित स्नातक। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड० / समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी०जी०डी०सी०ए०/बी०सी०ए० / बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइन्स अथवा स्नातक सहित डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से "ओ०" लेवल/ "ए" लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
10	अंशकालिक शिक्षिका (महिला)	कला क्राफ्ट संगीत	1	आराजीलाइन्स	EWS	12790/- प्रतिमाह की दर से (13 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान को सम्मिलित करते हुए।	कला क्राफ्ट संगीत / गृह शिल्प विषय से प्रशिक्षित स्नातक तथा एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/एल०टी० / समकक्ष
11	अंशकालिक शिक्षिका (महिला)	शारीरिक शिक्षा	1	पिण्डरा	SC	12790/- प्रतिमाह की दर से (13 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान को सम्मिलित करते हुए।	बी०पी०एड० / सी०पी०एड० / डी०टी०एड० आदि उपाधि।
12	मुख्य रसोईया (महिला)	-	1	आराजीलाइन्स	GEN	9006/- प्रतिमाह की दर से (13 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान को सम्मिलित करते हुए।	कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नही होना चाहिये तथा पाक विद्या में निपुण हो।
13	सहायक रसोईया (महिला)	-	4	आराजीलाइन्स	GEN	6755/- प्रतिमाह की दर से (13 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान को सम्मिलित करते हुए।	कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिये तथा पाक विद्या में निपुण हो।
14				आराजीलाइन्स	GEN		
15				चिरईगॉव	GEN		
16				सेवापुरी	EWS		
17	चौकीदार (महिला	-	3	आराजीलाइन्स	SC	7505/- प्रतिमाह की दर से (13 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान को सम्मिलित करते हुए।	कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिये।
18				चिरईगॉव	SC		
19				नगर क्षेत्र	GEN		

अन्य निर्देश-

1- समस्त स्टाफ की चयन वर्ष 1 अप्रैल, 2026 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।

2- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये है, उन शिक्षकों द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।

3- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं, उन शिक्षकों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या-के०जी०बी०वी०/3-2/1916/2013-14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी०ई०टी० की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

4- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके द्वारा विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 अंक अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।

5- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका तथा अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका तथा अंशकालिक शिक्षिका के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा-

क्र.सं.	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 20/100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 30/100
5	भारांक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो

6- क०गां०बा०वि० में उक्त पदों पर शैक्षणिक स्टाफ का चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। जिसमें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं बी०एड० के अंकों के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जायेगा।

7- आवेदन पत्र के साथ स्नातक के तीनों वर्षों का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

8- पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोइयां, चौकीदार का पद पूर्ण कालिक है। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोइयां एवं चौकीदार के पद पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा। चयन के उपरान्त पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोइयां एवं चौकीदार को विद्यालय परिसर में छात्राओं के साथ निवास करना अनिवार्य होगा।

9- चौकीदार का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा तथा मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया का चयन साक्षात्कार व शारीरिक क्षमता एवं पाक कला के ज्ञान के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए कक्षा-8 पास अनिवार्य है।

10- किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक / चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह / पात्र नहीं होगा।

11- शैक्षणिक स्टाफ हेतु केवल उन्ही अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा, जिनके स्नातक के विषय उक्तवत् विवरण में दी गयी विषयों से मिलान करेंगी।

12- अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त शैक्षिक अंकपत्रों, प्रमाणपत्रों / अनुभव प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाणपत्र की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित हों, संलग्न किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर रू0 42/-डाक टिकट चस्पा हो।

13- एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में अंकित किया जाय।

14- विज्ञप्ति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई भी परिवर्तन / परिवर्धन अमान्य होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं के बाद में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। सभी सूचनाएं निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से अंकित किये जायें। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कटिंग / ओवरराइटिंग की दशा में अभ्यर्थी के आवदेन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही इसकी सूचना अभ्यर्थी को दी जायेगी।

15- दिनांक 10 जुलाई, 2026 सायं 05:00 बजे तक ही पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। उक्त तिथि व समय के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त नही किये जायेंगे।

16- उपर्युक्त समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन अथवा शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए नियत मानदेय पर संविदा पर आधारित होगा।

17- रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है तथा किसी भी पद के लिए विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। इसमें किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

18- शिक्षक / शिक्षणेत्तर स्टाफ के नवीन चयन के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत समस्त अंकपत्रों / प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बोर्ड / परीक्षा संस्था से सत्यापनोंपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

19- उक्त विज्ञप्ति एवं प्रारूप Varanasi.nic.in पर एवं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर विस्तृत रूप से उपलब्ध है।

(भूपेन्द्र सिह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।